ग्राम विकास शिविर

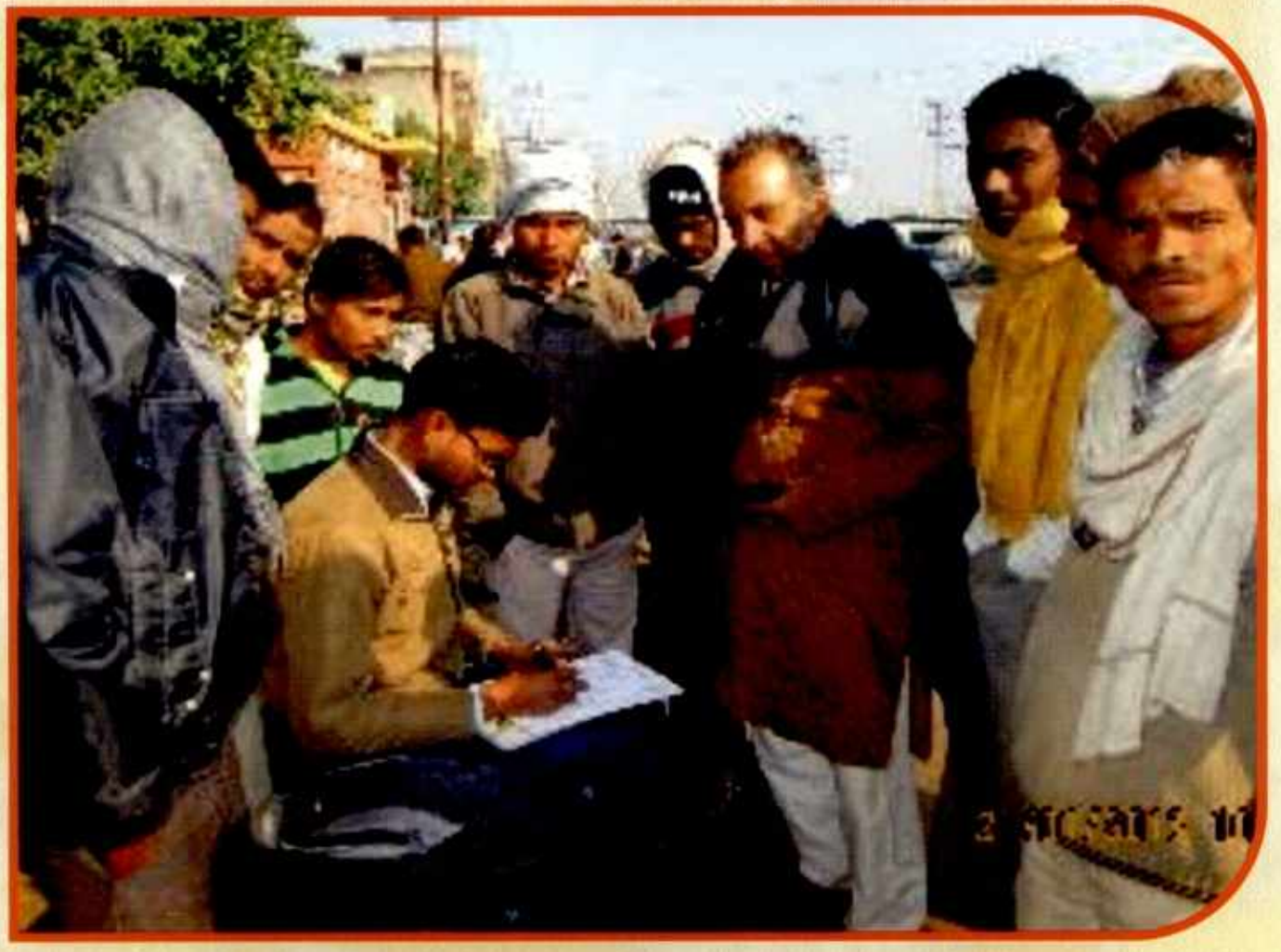

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

नीतीश मिश्रा
मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

संदेश

एक जन प्रतिनिधि के रूप में मैंने पाया है कि ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं की पूर्ण जानकारी अत्यन्त ही आवश्यक है। मेरे निर्देश पर विभाग द्वारा सभी माननीय सदस्यों के लिए विभाग की हर योजना के लिए पत्रिका के रूप में समुचित जानकारी रेडी रिकोनर के रूप में अलग-अलग तैयार किया गया है। चौदह पत्रिकाओं की सिरिज में यह पत्रिका **ग्राम विकास शिविर** से संबंधित है। इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दिशा-निर्देश इत्यादि सरल भाषा में आपके लिए संग्रहित कर दिये गये है।

आशा है कि इसका उपयोग कर आप बिहार के गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास में महति भूमिका निभायेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

नीतीश मिश्रा

प्रस्तावना

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देश में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पत्रिकाएं तैयार की गयी हैं। इन पत्रिकाओं में सरल भाषा में समुचित जानकारी दिये जाने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं के उद्देश क्या हैं, इनका क्रियान्वयन कैसे होता है, निधि कैसे उपलब्ध होती है, लक्षित वर्ग कौन हैं, किस प्रकार की सहायता दी जाती है, किस प्रकार के कार्य किये जाते हैं, क्या करना चाहिये एवं क्या नहीं करना चाहिये, राशि की उपयोगिता किस प्रकार की जानी है, वित्तीय एवं सामाजिक अंकेक्षण क्या है, योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाना है, कौन जवाबदेह है, शिकायत किस प्रकार एवं कहाँ की जानी है, इत्यादि को इन पत्रिकाओं में बताने का प्रयास किया गया है।

आशा है कि यह पत्रिका आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

•

शुभकामनाओं सहित।

अमृत लाल मीणा

सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

ग्राम विकास शिविर

पंचायती राज व्यवस्था में जनता की भागीदारी के लिए ग्राम सभा एक प्रमुख माध्यम है । राज्य में चल रही विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनसाधारण को सुगमता से उपलब्ध कराने, योजनाओं का प्रचार प्रसार, अनुश्रवण एवं लोक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "ग्राम विकास शिविर" के आयोजन की परिकल्पना की गई है । ग्राम विकास शिविर में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों पर कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है ।

1. ग्राम विकास शिविर के मुख्य उद्देश्य :

- ग्रामीणों को विकास योजनाओं की पूर्ण जानकारी देना तथा उनके द्वारा उठाये गये विषयों एवं समस्याओं का स्थल पर ही समन्वय कर समाधान करना,

- जनता के बीच पारदर्शी तरीके से प्रखंड एवं अंचल के अलावा अन्य विभागों के कार्य स्थानीय स्तर पर निष्पादित करना, यथा –

•

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन इच्छुक अकुशल मजदूर परिवारों का निबंधन, जॉब कार्ड वितरण एव मांग सृजन, इंदिरा आवास योजना के अधीन लाभार्थियों के मकानों का निरीक्षण, आजीविका के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा,अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज व अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन, भूमि विवादों को सुलझाने की व्यवस्था, राशन आपूर्ति का स्थानीय निरीक्षण इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, जल संसाधन, लघु सिचाई, लोक स्वास्थ्य, वन एवं पर्यावरण तथा अन्य विभागों के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार, निरीक्षण, जन सहभागिता प्राप्त करने जैसे कार्य ।

स्वच्छता अभियान, शुद्ध पेयजल, मलेरिया, पोलियो, कालाजार उन्मूलन के संबंध में स्थानीय लोगों को जागरूक करना ।

2. ग्राम विकास शिविर की संरचना, स्थान एवं समय :

- इस व्यवस्था के अधीन प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से राज्य भर में प्रत्येक शनिवार को 11:00 बजे से 4:00 बजे तक प्रत्येक प्रखंड में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पंचायत में ग्राम सभा बुलाकर ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया जायेगा । यदि शनिवार को राजपत्रित अवकाश हो तो यह शिविर अगले कार्य दिवस को आयोजित किया जायेगा ।

- जिस पंचायत में ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया जा चुका हो वहाँ एक पक्ष के अंतराल पर पडने वाले शनिवार को पुनः शिविर आयोजित की जायेगी क्योंकि प्रथम शनिवार को आयोजित की गई शिविर में कुछ वैसे मामले भी आयेगें जिसका निष्पादन उसी शिविर में उसी दिन संभव नहीं हो पायेगा । ऐसी परिस्थिति में उन सभी आवेदनों को प्राप्त कर आयोजित शिविर के एक पक्ष के बाद आने वाले शनिवार को उसी स्थान पर शिविर आयोजित कर सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जायेगा ।

- सभी पंचायतों में एक बार शिविर का आयोजन हो जाने के बाद शिविर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जायेगा।

- पंचायत का प्रथम शिविर यथा संभव पंचायत भवन में किया जायेगा । यदि वहाँ जगह कम हो तब समीपस्थ उपयुक्त सार्वजनिक स्थान पर किया जायेगा । एक पक्ष के अंतराल पर पडने वाले शनिवार को उसी स्थान पर शिविर आयोजित की जायेगी । इसके बाद के चरण का शिविर किसी अन्य ग्राम में आयोजित की जोयगी जहॉ गरीब वर्ग, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महादलित के लोग अधिक संख्या में रहते हैं।

- सभी चयनित पंचायतों में शिविर के एक दिन पूर्व डुगडुगी पिटवाकर भी प्रचार–प्रसार की व्यवस्था है । पंचायत शिविर आयोजन की तिथि का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि माननीय सदस्य विधान सभा यदि चाहें तो अपने क्षेत्र में होने वाले सभी शिविर में भाग ले सकें, यथा किसी विधान सभा के सदस्य का क्षेत्र तीन प्रखण्डों में हो तो अलग–अलग तिथि मे ग्राम सभा आयोजित की जायेगी । जिला पदाधिकारी के द्वारा

शिविर का रोस्टर तैयार कर सभी संबंधित मा0 सांसद/स0वि0स0/स0वि0प0/अध्यक्ष जिला परिषद को उपलब्ध कराये जायेगें ।

- शिविर में अध्यक्ष जिला परिषद, सदस्य जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य तथा पंच को भी आमंत्रित किये जायेगें ।

- ग्राम विकास शिविर के दिन संबंधित पंचायत में ग्राम सभा आयोजित की जायेगी ।

- शिविर में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय सभी पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पुलिस पदाधिकारी, बैंक पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तर के अन्य सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहेगें ।

- इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम विकास शिविर अप्रैल, 2013 के प्रथम सप्ताह से आयोजित करने की व्यवस्था की गई है ।

3.शिविर का प्रबंधन

- शिविर का प्रबंधन स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- सभी विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का यथा–संभव निष्पादन शिविर में ही करवाया जोयगा ।

- प्रत्येक काउन्टर पर समस्याओं/कार्यों का संधारण निम्न प्रपत्र में अलग्–अलग पंजियों में किया जायेगा। प्रत्येक समस्या के लिए ग्रामीणों को अलग–अलग रसीद दी जायेगी जिसमें पंजी का क्रमांक एवं तिथि अंकित की जायेगी।

4. अनुश्रवण

ग्राम विकास शिविर का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/ निदेशक (जि०ग्रा०वि०अ०)/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक प्रखंड के लिए अनुश्रवण पदाधिकारी को नामित किया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि शिविर, नियमित रूप से निर्धारित समय से हो। अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा भी शिविर में भाग लेकर जन समस्यायों के निष्पादन में सहयोग किया जायेगा ।

ग्राम विकास शिविर को आम जनता की समस्याओं से अवगत होने तथा उनका त्वरित निदान करने का एक सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है । आशा है कि आम जनता इस व्यवस्था का लाभ उठायेगी ।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

मुख्य सचिवालय, पटना-800 001

द्वारा जनहित में जारी

Bharat Printing Works